डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-09, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

17 सितंबर 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 16, निःशुल्क

एरोकॉन 2025 का शुभारंभ

कैंसर पर विजय का संकल्प, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में एरोकॉन 2025 का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता का स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने 65 करोड़ रुपये की लागत से नया छात्रावास बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैंसर की रोकथाम और उपचार हेतु अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एम्स रायपुर में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की शुरुआत हुई है और एआई तकनीक से कैंसर पहचान आसान होगी। उन्होंने नवा रायपुर में 5,000 बिस्तरों की मेडिसिटी और बस्तर–सरगुजा में नए अस्पतालों की स्थापना की जानकारी दी।

वन्यजीव कल्याण बोर्ड की बैठक

तीन वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी, 17 से बढ़कर हुई 35

छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। वर्ष 2022 में 17 बाघ थे, जो अप्रैल 2025 में बढ़कर 35 हो गए। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता

में सम्पन्न राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक में साझा की गई। जशपुर जिले के नीमगांव में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और अन्य वन्यजीवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य में सर्वाधिक बाघ अचानकमार टाइगर रिज़र्व में हैं। मध्यप्रदेश से बाघों के ट्रांसलोकेशन की अनुमति मिल चुकी है। गश्ती मार्ग निर्माण, सड़क, पाइपलाइन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

हाफ बिजली बिल से आगे, मुफ्त बिजली की ओर कदम

प्रदेश के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं, बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 618 उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 30 हजार

रुपये की दर से कुल 1.85 करोड़ रुपये की राज्यांश सब्सिडी का ऑनलाइन अंतरण किया और सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट

बस्तर में निवेश और विकास का नया अध्याय शुरु

"हमारी औद्योगिक नीति के केंद्र में बस्तर है। माओवाद की छाया से बाहर निकल चुका यह इलाका अब निवेश का स्वर्णिम अध्याय लिखने को तैयार है।" मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

माओवाद से विकास की ओर

- बहादुर जवानों और बस्तरवासियों ने साहस से नक्सलवाद को पीछे धकेला है। मार्च 2026 तक माओवाद की बची-खुची निशानियाँ भी समाप्त हो जाएंगी और बस्तर नक्सलमुक्त होकर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।
- जगदलपुर के फ्रेजरपुर और गीदम रोड, नियानार, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। सुकमा, कोंडागांव और अन्य जिलों में भी नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, रावघाट-जगदलपुर रेलमार्ग, किरंदुल-तेलंगाना रेल रूट, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट का विस्तार और बोधघाट परियोजना जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों से बस्तर की तस्वीर बदल रही है।
- प्रदेश सरकार 32 ब्लॉकों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रही है ताकि बस्तर के युवा उद्योगों के लिए स्किल्ड मानव संसाधन उपलब्ध करा सकें।

निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन

- बस्तर के 88% ब्लॉक ग्रुप-3 में चिन्हांकित
- एससी-एसटी उद्यमियों के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी
- नक्सल आत्मसमर्पितों को रोजगार देने पर 5 वर्ष तक 40% सैलरी सब्सिडी
- पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर 45% सब्सिडी

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

श्रमिक का सपना साकार, बेटी की पढ़ाई हुई आसान

शिक्षा से बदलेंगे जीवनः मुख्यमंत्री ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना और अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में शिक्षा को नई दिशा देने वाली दो महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें पहली है "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना", जिसके तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा मिलेगी। वहीं, दूसरी योजना है "अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप", जो प्रदेश की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी।

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप बेटियों के लिए नई उड़ान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा "जब बेटियाँ पढ़ती हैं तो वे केवल दो परिवारों को नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ियों को शिक्षित करती हैं।" इसी सोच के साथ अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शासकीय विद्यालयों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु प्रति वर्ष 30 हजार रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।

निःशुल्क शिक्षा और आवासीय विद्यालयों का अवसर

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस वर्ष 100 बच्चों का चयन किया गया है जिन्हें 14 निजी आवासीय विद्यालयों में दाखिला दिलाया गया है। इन विद्यालयों में बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

समग्र विकास और कोचिंग सुविधा

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बच्चों को निःशुल्क कोचिंग और समग्र विकास की सुविधाएँ भी मिलेंगी। इससे उनका व्यक्तित्व, क्षमता और करियर मजबूत होगा। श्रमिक परिवारों को आश्वस्त किया कि उनके बच्चों के लिए यह योजना उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना आवेदन की प्रक्रिया

- यह योजना केवल नियमित छात्राओं के लिए लागू होगी।
- लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगी।
- आवेदन https://azimpremji-foundation.org/what-we-do/education/azim-premji-scholarship/
- वेबसाइट या क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन निःशुल्क किया जा सकेगा।
- पहला चरण 10 से 30 सितम्बर 2025 और दूसरा चरण 10 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगा।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना हेतु

- श्रमिक का कम-से-कम 1 वर्ष से पंजीकृत होना अनिवार्य।
- केवल प्रथम दो बच्चों को लाभ।
- आवश्यक दस्तावेज : श्रमिक पंजीयन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कक्षा 5वीं की अंकसूची, वर्तमान अध्ययन प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं चयन के बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्यहित में कैबिनेट के चार बड़े फैसले

शहादत का सम्मान, ऊर्जा का नया विज़न और मीडिया कर्मियों को राहत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शहीद अधिकारी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति,वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि बढ़ाने जैसे फैसले शामिल हैं।

वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को राहत,

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना कर दिया है। अब उन्हें 10,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

शहीद एएसपी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति

सुकमा में 9 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे की की पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपुंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया।

लोक सेवा आयोग को नई अध्यक्ष

बैठक में लोक सेवा आयोग (PSC) में सुश्री रीता शांडिल्य को अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। वे वर्तमान में आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रही थीं।

राज्य सौर ऊर्जा नीति में संशोधन

- नीति की अवधि अब 2030 तक रहेगी या नई नीति आने तक लागू होगी।
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा।
- निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क व स्टाम्प शुल्क में छूट, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट सहित कई प्रोत्साहन पैकेज।
- एससी/एसटी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, तृतीय लिंग उद्यमियों और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रियायतें।प्रतीक है।

पिक ऑफ द वीक

कोरिया पैलेस (बैकुंठपुर)

कोरिया पैलेस, जिसे रामानुज विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण कई वर्षों में हुआ, इसकी नींव 1930 में रखी गई और ऊपरी भाग 1938 में, अंततः 1946 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यह महल जिले की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है और अभी भी शाही परिवार की संपत्ति है।

जॉब अलर्ट

IGI
पदः एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ व लोडर्स
पद संख्याः 1446
अंतिम तिथिः 21 सितंबर
igiaviationdelhi.com

नेवल डॉकयार्ड
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 286
अंतिम तिथिः 21 सितंबर
indiannavy.nic.in

BSSC
पदः ऑफिस अटेंडेंट
पद संख्याः 3727
अंतिम तिथिः 21 सितंबर
bssc.bihar.gov.in

CCRAS
पदः एलडीसी सहित अन्य
पद संख्याः 394
अंतिम तिथिः 22 सितंबर
ccras.nic.in

बीपीएससी
पदः सहायक शिक्षा विकास अधिकारी
पद संख्याः 935
अंतिम तिथिः 26 सितंबर
bpsc.bihar.gov.in

एम्स बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)
पदः टीचिंग
पद संख्याः 90
अंतिम तिथिः 29 सितंबर
aiimsbilaspur.edu.in

राजस्थान केंद्रीय विवि
पदः टीचिंग
पद संख्याः 18
अंतिम तिथिः 30 सितंबर
www.curaj.ac.in

छत्तीसगढ़ संदर्भ

जशपुर जिला

- **भौगोलिक क्षेत्रः 6,205** वर्ग किलोमीटर
- **कुल विधानसभा सीट : 3** (जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव,)
- **तहसील की संख्या : 10** (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी, फारसाबहर, बगीचा, कांसाबेल, सन्ना, पत्थलगांव, बागबहार)
- **विकासखण्ड : 8** (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी, फारसाबहर, बगीचा, कांसाबेल, पत्थलगांव)
- **जनपद पंचायत : 8** (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी, फारसाबहर, बगीचा, कांसाबेल, पत्थलगांव)
- **नगर पंचायतः 4** (कुनकुरी, बगीचा, पत्थलगांव, कोतबा)
- **ग्राम पंचायतः 444**

स्रोत : https://jashpur.nic.in/

नियमित विमान सेवा से बड़े शहरों से सीधे जुड़ा बस्तर अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान

पर्यटन और व्यापार दोनों को मिला नया अवसर, मरीज, विद्यार्थी और युवा भी बड़े शहरों तक आसानी से पहुँच रहे

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है कि जगदलपुर स्थित माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डे से अब तक लगभग तीन लाख यात्रियों ने यात्रा की है। नियमित विमान सेवाओं के चलते बस्तर सीधे बड़े शहरों से जुड़ गया है, जिससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में नए अवसर खुले हैं।

ऐतिहासिक महत्व और उन्नयन

जगदलपुर एयरपोर्ट का निर्माण 1939 में ब्रिटिश शासनकाल में 'जहाज भाटा' के नाम से हुआ था। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इसका उन्नयन किया गया। 2019 में इसे 3-सी श्रेणी में अपग्रेड किया गया, जिससे एटीआर-72 जैसे विमानों का संचालन संभव हुआ। 2020 में एयरपोर्ट का नामकरण बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के नाम पर किया गया।

नियमित उड़ानों की शुरुआत

सितंबर 2020 में एलायंस एयर ने रायपुर और हैदराबाद के लिए नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू कीं। इसके बाद दिल्ली, जबलपुर और बिलासपुर के लिए भी सेवाएँ शुरू हुईं। मार्च 2024 से इंडिगो एयरलाइंस ने दैनिक उड़ानों के साथ जगदलपुर को हैदराबाद और रायपुर से जोड़ा गया। पैरामिलिट्री बलों के लिए विशेष दिल्ली सेवा भी उपलब्ध है।

नागरिकों और व्यवसाय के लिए लाभ

इस सुविधा से स्थानीय नागरिकों को आसान आवागमन मिला है। गंभीर मरीज बड़े शहरों में त्वरित उपचार हेतु पहुँच पा रहे हैं। विद्यार्थी और युवा उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए आसानी से बड़े शहरों तक पहुँच रहे हैं। वहीं व्यापारियों और कारीगरों के लिए बस्तर के हस्तशिल्प, वनोपज और हर्बल उत्पाद अब देश के बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं।

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

पर्यटन क्षेत्र में भी एयरपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई है। चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बस्तर दशहरा जैसे प्रमुख स्थल अब देश-विदेश से पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं।

विकास का नया द्वार

जगदलपुर एयरपोर्ट अब बस्तर के विकास का नया द्वार बनकर उभरा है। यह क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है।

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 117 पदों पर भर्ती

दुर्ग जिले के 10 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 117 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला), कंप्यूटर शिक्षक और ग्रंथपाल सहित अन्य पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। रिक्त पदों में अनारक्षित 71, अनुसूचित जनजाति 23, अनुसूचित जाति 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 पद आरक्षित हैं। विस्तृत जानकारी durg.gov.in या cgssa.in/sagesdurg पर जा सकते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13,217 पदों पर भर्ती, आवेदन 21 सितंबर तक

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने देशभर के रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) में क्लर्क और ऑफिसर सहित कुल 13,217 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 तय की गई है। अभ्यर्थियों को ग्रेजुएशन समेत विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव आवश्यक है। चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू पर आधारित होगी। सामान्य वर्ग के लिए फीस 850 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपए है। आवेदन ibpsreg.ibps.in पर ऑनलाइन किया जा सकेगा।

एनएचपीसी में 248 पदों पर भर्ती, आवेदन 1 अक्टूबर तक

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने नॉन एग्जीक्यूटिव श्रेणी के 248 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार www.nhpcindia.com पर 1 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों में जूनियर इंजीनियर, सीनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर शामिल हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगी। वेतनमान 27,000 से 1,40,000 रुपए प्रतिमाह तक तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए रखा गया है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 976 पदों पर भर्ती

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव (JE) के 976 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री और GATE 2023, 2024 या 2025 क्वालिफाई होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है चयन प्रक्रिया GATE स्कोर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होगी। वेतनमान 1,40,000 रुपए प्रतिमाह तय किया गया है।

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com
रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि संपादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं को नया आयाम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित एम्स में मध्य भारत के पहले शासकीय रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम 'देव हस्त' का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं पहला ड्राइ लैब डिसेक्शन कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने एम्स में दूरदराज से आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए सर्व-सुविधायुक्त परिजन निवास निर्माण की भी घोषणा की। राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और नवा रायपुर में 5,000 बिस्तरों की क्षमता वाली मेडिसिटी का निर्माण जारी है।

जीएसटी सुधारों से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था व्यापारियों और आमजन को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से नवा रायपुर में विभिन्न व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधियों ने भेंट कर जीएसटी में सुधारों के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी ने व्यापार जगत को सशक्त किया और कर संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाई। हालिया सुधारों से राज्य के उद्योगों, व्यापारियों और आमजन को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में कर संग्रह में वृद्धि हुई है, जिससे विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था भारत को वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाएगी और राज्य व देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी।

सतत विकास लक्ष्यों में छत्तीसगढ़ की प्रगति, सरकार प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार "सतत विकास लक्ष्य (SDG) राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024" का विमोचन किया। रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 से बढ़कर 70 बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। 28 जिले फ्रंट रनर, 5 परफॉर्मर और 1 अचीवर श्रेणी में हैं। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शक होगी। 275 संकेतकों में 40 ने 2030 लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए हैं।

गणेश विसर्जन झांकियों में उमड़ा जनसैलाब, मुख्यमंत्री श्री साय ने की पूजा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आठ सितंबर की रात रायपुर के जयस्तंभ चौक में ऐतिहासिक गणेश विसर्जन झांकियों का अवलोकन करने पहुँचे और विघ्नहर्ता गणेश से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। रायपुर की सड़कों पर झांकियां शारदा चौक से महादेव घाट तक मार्ग तय करते हुए प्रदर्शन की गईं। विविध पौराणिक प्रसंगों के साथ ऑपरेशन सिंदूर और राफेल विमान की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

यूनिसेफ इंडिया देगा तकनीकी सहयोग विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मदद

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने सुपोषण, महतारी वंदन योजना और "हमर स्वस्थ लइका" कार्यक्रम सहित राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और तकनीकी सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिसेफ की विशेषज्ञता से छत्तीसगढ़ में अंजोर विजन 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने श्री सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री सी.पी. राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एक प्रभावशाली नेता और कुशल प्रशासक के रूप में श्री राधाकृष्णन जी ने समाज की जड़ों से उठकर राष्ट्र के उच्च संवैधानिक पद तक पहुँचने का गौरव अर्जित किया है। उनका यह सफर लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त मिसाल है।

आदिवासी विकास को नई गति, बजट 75 करोड़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कोरबा में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। बैठक में शिक्षा, खेल, पर्यटन और आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने हेतु कई घोषणाएँ की गईं। मुख्यमंत्री ने पीएम जनमन योजना और धरती आबा अभियान को विकास की नई संभावनाएँ बताते हुए महिलाओं के लिए स्व-सहायता समूह और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही।

जशपुर जिला प्रशासन एवं विज्ञान भारती के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में आज जशपुर जिला प्रशासन एवं विज्ञान भारती के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य जिले के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना तथा उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। इस पहल के अंतर्गत विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न अभिनव कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसके माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा को नए आयाम मिलेंगे तथा शिक्षा का स्वरूप अधिक व्यावहारिक और प्रयोगशील बनेगा।

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से लाभान्वित हुए युवा उद्यमी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा बस्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाओं के मद्देनजर इस वर्ष बीते छह महीने पहले यहां के उद्योगपति, व्यवसायियों, नव उद्यमियों के साथ ही स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से संवाद कर सकारात्मक प्रयास किया गया था। इन सभी सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप जगदलपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इनवेस्टर कनेक्ट बस्तर कार्यक्रम के दौरान करीब 1000 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति पत्र निवेशकों को प्रदान किए गए। जिसमें बस्तर क्षेत्र के कोंडागांव जिले की युवा महिला उद्यमी रागिनी जायसवाल सहित माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में सोहैल रिजवी जैसे स्थानीय उद्यमी शामिल हैं जिन्होंने इन सुदूर ईलाके में स्वरोजगार के अवसर को अपनाने के लिए चुनौती स्वीकार किया है।

राष्ट्रीय

स्वच्छ ऊर्जा: हिमालयी देशों में सिर्फ 6.1% हिस्सेदारी

भारत समेत हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के देशों में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ 6.1% ही है। आईसीआईएमओडी की रिपोर्ट में अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान का विश्लेषण किया गया। इन देशों में हाइड्रोपावर की कुल क्षमता 882 गीगावॉट है, लेकिन अब तक सिर्फ 49% का ही इस्तेमाल हो पाया है।

PSA मुंबई टर्मिनल फेज-II का वर्चुअल उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॅंग ने 4 सितंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से जेएनपीए स्थित PSA मुंबई टर्मिनल फेज-II का उद्घाटन किया। इससे टर्मिनल की क्षमता बढ़कर 4.8 मिलियन TEUs हो गई है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बनाती है। सिंगापुर की PSA International द्वारा संचालित यह टर्मिनल अत्याधुनिक क्रेन, ऑटोमेशन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल कनेक्टिविटी से सुसज्जित है। यह परियोजना भारत–सिंगापुर आर्थिक सहयोग को नई गति देगी, लॉजिस्टिक लागत घटाएगी और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएगी।

भारत ने विकसित किया दुर्लभ एंटी-डोपिंग रेफरेंस मटेरियल

भारत ने खेलों में डोपिंग जांच को सशक्त बनाने के लिए मेथानडायनोन लॉन्ग-टर्म मेटाबोलाइट (LTM) नामक दुर्लभ एंटी-डोपिंग रेफरेंस मटेरियल विकसित किया है। यह उपलब्धि NIPER गुवाहाटी और NDTL नई दिल्ली के सहयोग से संभव हुई। 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इसका आधिकारिक लॉन्च किया। यह मटेरियल मूत्र परीक्षण से लंबे समय बाद तक स्टेरॉयड सेवन का पता लगाने में सक्षम है। दुनिया में केवल कुछ ही संस्थान ऐसे जटिल मटेरियल बनाते हैं। भारत की यह उपलब्धि आयात पर निर्भरता घटाने और WADA नेटवर्क में वैश्विक योगदानकर्ता बनने की दिशा में मील का पत्थर है।

गैब्रिएल वॉल ने प्लास्टिक के टुकड़ों पर दौड़कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड की गैब्रिएल वॉल ने प्लास्टिक के तीखे टुकड़ों पर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने 100 मीटर लंबी यह दूरी सिर्फ 24.75 सेकंड में पूरी की। यह रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान पर करीब 299 किलो प्लास्टिक के तीखे टुकड़ों से बनी 'लेगो' बिछाए गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने खुद को नई सीमाओं तक पहुंचाया।

सी.पी. राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने

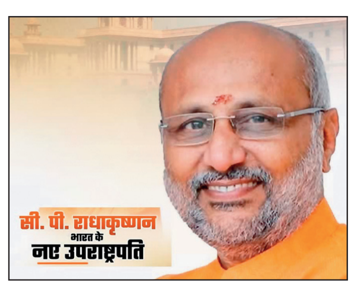

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री सी.पी. राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में श्री राधाकृष्णन को चार सौ 52 मत प्राप्त हुए थे। उन्होंने श्री बी. सुदर्शन रेड्डी को एक सौ 52 मतों के अंतर से हटाया था।

पंचायत की पहल; सरकारी स्कूल में पढ़ाएँ बच्चे तो आधा टैक्स माफ होगा

बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के गोगांव ग्राम पंचायत ने टैक्स कम कर दिया है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को पंचायत टैक्स में 50% की छूट दे रही है। पंचायत का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी गोगांव जिला परिषद स्कूल में प्रवेश लें और गाँव में शिक्षा का स्तर बढ़े। इस समय इस स्कूल में 63 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जबकि गाँव में लगभग 500 परिवार रहते हैं। इन परिवारों पर न्यूनतम 3,000 रुपये वार्षिक टैक्स लगता है।

बुलंदशहर में बना दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क

बुलंदशहर के खुर्जा में एक अनूठा पार्क तैयार किया गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा पार्क है जो पूरी तरह सिरेमिक वेस्ट से बना है। कालंद्री कुंज में स्थित इस पार्क को 'अनोखी दुनिया' नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाया गया यह पार्क सरकार की 'वेस्ट-टू-आर्ट' नीति का हिस्सा है। बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण (BKDA) की इस पहल से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही खुर्जा के सिरेमिक उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी।

भारत का 11 लाख करोड़ हाई-स्पीड रोड नेटवर्क प्लान

भारत ने 2033 तक हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क को पाँच गुना बढ़ाने के लिए 11 लाख करोड़ (लगभग $125 अरब) की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत 17,000 किमी एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और आर्थिक कनेक्टिविटी तेज होगी। वर्तमान में 4,500 किमी हाई-स्पीड सड़कें हैं, जो 21,500 किमी तक पहुँचेंगी। परियोजना का 40% काम प्रगति पर है, शेष 2028-33 तक पूरा होगा। फंडिंग BOT और HAM मॉडल से होगी, जिसमें निजी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य बना, 99.30% साक्षरता दर के साथ टॉप पर

हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उल्लास कार्यक्रम के तहत हिमाचल देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है। देश में अभी तक उल्लास कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा, मिजोरम और लक्षद्वीप पूर्ण साक्षर राज्य घोषित थे। इन तीनों को पछाड़कर हिमाचल प्रदेश 99.30 फीसदी साक्षरता दर के साथ देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। अभी तक मिजोरम 98.02 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ पहले पायदान पर, लक्षद्वीप 97.3 फीसदी के साथ दूसरे और त्रिपुरा 97.3 प्रतिशत साक्षरता के साथ तीसरे नंबर पर है। मगर अब हिमाचल नंबर-वन हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय

अनुतिन चार्नविराकुल बने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री

थाईलैंड में अनुतिन चार्नविराकुल नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। भूमजैथाई पार्टी के नेता अनुतिन ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत से अधिक 247 वोट प्राप्त किए। राजा महा वजीरालोंगकोर्न से औपचारिक नियुक्ति के बाद वे पदभार ग्रहण करेंगे। वे पैतोंगटार्न शिनावात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें अदालत के आदेश से पद छोड़ना पड़ा था। हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता और पांच दिवसीय हिंसक संघर्ष के बाद यह बदलाव हुआ। अनुतिन पहले शिनावात्रा मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन विवादास्पद फोन कॉल लीक होने के बाद इस्तीफा देकर उन्होंने पार्टी को गठबंधन से अलग कर लिया था।

आर्टिफिशियल स्वीटनर ज्यादा खाने से याददाश्त 62% तक कमजोर

एक नए शोध में चेतावनी दी गई है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे एस्पार्टेम और सैकरीन का अधिक सेवन दिमाग की याददाश्त और शब्दों को याद रखने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। 'न्यूरोलॉजी' जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया कि जो लोग सबसे ज्यादा स्वीटनर लेते हैं, उनकी याददाश्त क्षमता में 62% की गिरावट देखी गई। यह गिरावट दिमाग के 16 साल जल्दी बूढ़ा होने के बराबर है। शोध में ब्राज़ील के करीब 13 हजार लोगों का विश्लेषण किया गया। इनकी औसत उम्र 52 साल थी। सबसे ज्यादा सेवन करने वाले लोग रोजाना औसतन 191 मिलीग्राम स्वीटनर ले रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एक डाइट सोडा के कैन में 200 से 300 मिलीग्राम स्वीटनर होता है।

पेरूः चार हजार साल पुरानी 3-डी नक्काशीदार दीवार की खोज

पेरू के पुरातत्वविदों ने 4 हजार साल पुरानी 3-डी दीवार की खोज की है। पेरू की तंगुचे घाटी में मिली यह खोज अमेरिका की शुरुआती सभ्यताओं की अब तक की समझ को बदल सकती है। छह मीटर लंबी इस दीवार पर बाज की आकृति बनी है, जिसके पंख फैले हुए हैं। सिर पर हीरे जैसी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। दीवार पर नीले, पीले, लाल और काले रंगों से चित्र बनाए गए हैं। यह दीवार मंदिर की भीतरी सजावट का हिस्सा है। इसमें मछलियों, मछली पकड़ने के जाल, पौराणिक जीवों और तारों की आकृतियाँ भी बनी हैं।

इंस्टाग्राम पर जल्द यूट्यूब की तरह पीआईपी फीचर

इंस्टाग्राम पर रील्स को फ्लोटिंग विंडो में देखा जा सकेगा। इस पर जल्द यूट्यूब की तरह पीआईपी (पिक्चर-इन-पिक्चर) मोड फीचर लॉन्च हो सकता है। इसमें वीडियो छोटी विंडो में चलता रहेगा, जिससे यूजर उसी समय मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं या दूसरा ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं।

5 साल के कंप्यूटर विशेषज्ञ पहले मिलेनियल संत घोषित

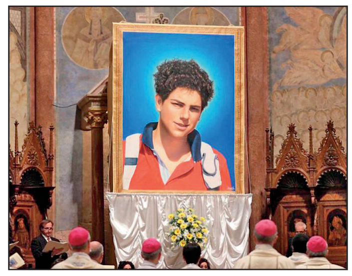

वेटिकन सिटीः पोप फ्रांसिस ने 15 वर्षीय कंप्यूटर विशेषज्ञ कार्लो एक्युटिस को कैथोलिक चर्च का पहला मिलेनियल (सहस्त्राब्दी) संत घोषित किया है। मिलान के निवासी कार्लो ने तकनीक का इस्तेमाल आस्था के प्रसार के लिए किया था। इसके चलते उन्हें 'गॉड्स इन्फ्लुएंसर' कहा जाने लगा था। 2006 में कार्लो का निधन हो गया था।

देश ने 7 साल बाद देखा पूर्ण चंद्रग्रहण 82 मिनट ब्लड मून

भारत समेत दुनिया के कई देशों ने 07 सितंबर की रात खुली आंखों से पूर्ण चंद्रग्रहण देखा। यह रात 9:57 बजे शुरू हुआ और करीब 3 घंटे 27 मिनट तक रहा। चंद्रग्रहण तब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया से चंद्रमा की रोशनी छिप जाती है। आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण, जिसे पूरे भारत में एक साथ देखा गया था, 27 जुलाई 2018 को हुआ था। चंद्रमा नारंगी दिखता है क्योंकि हवा के अणु कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले प्रकाश को बिखेर देते हैं और लंबी तरंगदैर्ध्य वाले लाल प्रकाश को गुजरने देते हैं। ये तरंगें चंद्रमा को लाल कर देती हैं।

द. कोरियाः 12 मिनट में चार्ज होगी बैटरी, 800 किमी चलेगी ईवी

दक्षिण कोरिया की केएआईएसटी यूनिवर्सिटी और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन की रिसर्च टीम ने ऐसी नई लिथियम-मेटल बैटरी बनाई है, जो एक बार चार्ज होने पर 800 किमी तक कार चला सकती है। यह बैटरी सिर्फ 12 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह तकनीक ईवी बैटरियों की सबसे बड़ी समस्या डेंड्राइट फॉर्मेशन को खत्म करती है। डेंड्राइट बैटरी की ऊर्जा क्षमता घटाते हैं और फास्ट चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ाते हैं।

स्पेनः भूमध्य सागर के तट पर पहुंचीं रहस्यमयी 'नेपच्यून बॉल्स'

स्पेन में भूमध्य सागर के किनारों पर इन दिनों कुछ अजीबोगरीब गोल आकृतियाँ बहकर आ रही हैं। ये कभी नारियल जैसी दिखती हैं तो कभी किसी जानवर की गोल-मटोल आकृति जैसी। इन्हें 'नेपच्यून बॉल्स' कहा जा रहा है, लेकिन इनका ग्रह नेपच्यून से कोई लेना-देना नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक़ ये बॉल्स असल में समुद्री घास 'पोसीडोनिया ओशियानिका' की पत्तियों से बनती हैं, जो मेडिटेरेनियन समुद्र (भूमध्य सागर) में पाई जाती है। जब इसकी पत्तियाँ टूटकर अलग हो जाती हैं, तो पानी में घूमते हुए ये गोलाकार बन जाती हैं।

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में हार के बाद इस्तीफ़ा दिया

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एक वर्ष से भी कम समय के कार्यकाल के बाद चुनाव में हार के चलते इस्तीफ़ा दे दिया। इसके कारण उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को संसदीय बहुमत से हाथ धोना पड़ा। इशिबा ने एक टेलीविज़न प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। यह फ़ैसला पार्टी में होने वाले संभावित मतदान से पहले आया है, जिसके कारण उन्हें पद से हटाया जा सकता था। इशिबा के नेतृत्व में एलडीपी ने 15 वर्षों में पहली बार निचले सदन में अपना बहुमत खोया और इस साल जुलाई में ऊपरी सदन में भी बहुमत गंवा दिया।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

खेल / कला

वेस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ जूनियर टीम का कब्जा

छत्तीसगढ़ की जूनियर बैडमिंटन टीम ने गोवा में वेस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताब पर कब्जा किया। फाइनल में छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र को 2-0 से हराया। पहले मैच में छत्तीसगढ़ के रौनक चौहान ने महाराष्ट्र के देव रूपालिया को 21-16, 19-21, 21-17 से हराकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद दिव्यांश अग्रवाल और सौरव साहू की जोड़ी ने महाराष्ट्र के अर्जुन बिराजदार और आर्यन बिराजदार की जोड़ी को 21-17, 21-12 से हराकर टीम टाई में 2-0 से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा किया। दूसरी ओर पुरुष टीम फाइनल में महाराष्ट्र से 3-1 से हार गई। वहीं जूनियर बालिका टीम भी महाराष्ट्र से 2-1 से हारकर दूसरे स्थान पर रही।

आईपीएल में तीन हैट्रिक वाले अमित मिश्रा का सन्यास

भारत के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोषणा कर दी है। 42 वर्षीय मिश्रा ने अपने दो दशक से भी लंबे करियर में भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 मैच खेले। उन्होंने कुल 156 विकेट हासिल किए। हालांकि, उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2017 में खेला था। मिश्रा ने आईपीएल के 162 मैचों में 7.37 की इकॉनॉमी से 174 विकेट लिए और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में आठवें स्थान पर हैं। वह आईपीएल इतिहास में तीन हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज भी हैं।

इटालियन फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी का निधन

दुनिया के मशहूर फैशन डिजाइनर और अरमानी ब्रांड के संस्थापक जॉर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके फैशन हाउस ने पुष्टि की कि वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और घर पर ही उनका निधन हुआ। फैशन जगत के इस दिग्गज ने मिलान को रेडी-टू-वियर फैशन की राजधानी बनाने में अहम भूमिका निभाई। रेड कार्पेट फैशन की शुरुआत भी अरमानी की देन मानी जाती है। अरबपति अरमानी का बिजनेस कपड़ों से लेकर परफ्यूम, होटल और रेस्तरां तक फैला हुआ था। मिलान फैशन वीक में उनके ब्रांड के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाना था।

यूएस ओपनः सबालेंका ने दूसरी बार खिताब जीता

दुनिया की नंबर-1 महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका (27) दूसरी बार यूएस ओपन चैंपियन बन गई हैं। टॉप सीड सबालेंका ने फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा (24) को 6-3, 7-6 से हराया। वह अमेरिका की सेरेना विलियम्स के बाद यह खिताब बचाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

अनुपर्णा रॉय को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड

इंडियन फिल्ममेकर अनुपर्णा रॉय को 82वें वेनिस फेस्टिवल के ओरीजोंटी (Orizzonti) सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला। ये पुरस्कार उन्हें शनिवार, 6 सितंबर को फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' के लिए मिला। ये अवॉर्ड जीतने वाली वो पहली इंडियन फीमेल डायरेक्टर बनीं। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया।

हॉकीः भारत ने चौथी बार एशिया कप जीता, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 7 सितंबर को शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब है। फाइनल मुकाबले में सुखजीत सिंह ने पहले ही मिनट में गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने 28वें और 45वें मिनट में दो गोल किए। वहीं, अमित रोहिदास ने 50वें मिनट में गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की।

इंग्लैंड ने दर्ज की वनडे फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया। इंग्लिश टीम ने अफ्रीका को 342 रन के विशाल अंतर से मात दी। यह वनडे में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। हालांकि, अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। साउथैम्पटन के मैदान पर इंग्लिश टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 414/5 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। युवा बल्लेबाज जैकब बेथल (110) ने पहला वनडे शतक जमाया, जबकि अनुभवी बल्लेबाज जो रूट (100) ने भी सेंचुरी लगाई। बटलर (62 रन, 32 गेंद) और जेमी स्मिथ (62 रन, 48 गेंद) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं। जवाब में अफ्रीकी टीम पावरप्ले में 24 रन पर छह विकेट गंवाने के बाद 20.5 ओवर में 72 रन पर ढेर हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच जोफ्रा आर्चर ने 18 रन देकर चार विकेट लिए।

भारत को 94 साल में पहला पुरुष कंपाउंड टीम गोल्ड

वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के 94 साल के इतिहास में भारत को पहली बार पुरुष कंपाउंड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला। ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे की तिकड़ी ने फाइनल में फ्रांस को 235-233 से हराया। निर्णायक शॉट में प्रथमेश के परफेक्ट 10 ने भारत की जीत सुनिश्चित की। इससे पहले, ऋषभ और ज्योति सुरेखा वेंनम को मिक्स्ड टीम में सिल्वर मेडल मिला।

रायपुर एथलेटिक्स अकादमी को ओवरऑल सेकंड रनर-अप

बेहतराई में आयोजित 22वीं सब-जूनियर, जूनियर और अंडर-23 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रायपुर एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल सेकंड रनर-अप का खिताब जीता। खिलाड़ियों ने कुल 22 पदक हासिल किए, जिनमें 10 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। बिरजू राम मांडवी, किरण ध्रुव, ऋतुराज, योगेंद्र, बलराम और ध्रुवा बिरेन्द्र ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि कई खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। खेल व युवा कल्याण संचालक तनुजा सलाम ने विजेता खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया।

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in.

क्रमांक/52-बी/सि.से.प्रो./2025-26/707/ नवा रायपुर दिनांक 08/09/2025

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफलता प्राप्त करने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र का द्वितीय आमंत्रण

विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना (यथा संशोधित) वर्ष 2010 के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर राशि रूपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख मात्र) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 23.09.2025 तक आवेदन आमंत्रित हैं। पात्रता, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ०ग० में अंतिम तारीख तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र समय सीमा में रजिस्ट्रर्ड डाक से भी उल्लेखित पते पर भेजा जा सकता है।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के. विश्वनाथ रेड्डी)
उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
ब्लाक-4, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
अटल नगर छत्तीसगढ़।

नवीनतम फोटो चिपकाएं स्टेपल न करें

विषयः- संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र।

1. अभ्यर्थी का नाम ------------------------------------
2. जन्म तिथि ------------------------------------
   (अ) अंकों में ------------------------------------
   (ब) शब्दों में ------------------------------------
3. आयु- वर्ष--------माह--------दिन------------
4. शैक्षणिक योग्यता ------------------------------------
5. वर्तमान पता ------------------------------------

   ----
6. स्थायी पता ------------------------------------

   ----
7. अभ्यर्थी का वर्तमान व्यवसाय ------------------------------------
   एवं अभ्यर्थी की कुल वार्षिक आय
   (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पिता/अभिभावक का नाम ------------------------------------
9. माता का नाम ------------------------------------
10. पिता का व्यवसाय ------------------------------------
11. परिवार की कुल वार्षिक आय ------------------------------------
    (शपथ पत्र के प्रारूप में)
12. परीक्षा का नाम एवं वर्ष ------------------------------------
    (अभिलेख संलग्न करें)
    (1) उत्तीर्ण परीक्षा- ---------------------------------
    (अ) प्रारंभिक परीक्षा रोल नं. ---------------------------------
    (ब) मुख्य परीक्षा रोल नं. ---------------------------------
13. फोन नं./मोबाईल नं.- ---------------------------------
14. ई-मेल - ---------------------------------
15. परीक्षा की तैयारी हेतु केन्द्र / राज्य शासन की किसी योजनान्तर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण दें:-

क्रमांक	प्रशिक्षण योजना का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई सुविधा	किस केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और किस वर्ष में
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

16. जाति- अनुसूचित जनजाति ☐ अनुसूचित जाति ☐
    (✓)- टिक करें
    (आवेदक के छ.ग. में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में जाति/उपसमूह का नाम) अनु. जाति/जनजाति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
17. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है
    (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
    हॉं ☐ नहीं ☐
18. आवेदक का आधार कार्ड नंबर-------------(छायाप्रति संलग्न करें)
19. प्रोत्साहन राशि जमा करने हेतु बैंक खाते का विवरण
    (iv) बैंक एवं शाखा का नाम-------------
    (v) IFSC कोड----------------
    (vi) बैंक खाता क्र.----------------

टीप :- बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें उपरोक्त जानकारी हो, छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा पत्र

मैं--------------पिता/पालक-श्री/ श्रीमती.........निवासी..........उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। मैनें पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी संपूर्ण प्रोत्साहन राशि निरस्त कर यह राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भॉंति वसूली योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

स्थान

दिनांक

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

हस्ताक्षर

नाम---------------

पता---------------

पात्रता की शर्ते एवं संलग्न किए जाने वाले अभिलेख

1. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। (निवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करे)
2. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो । इस हेतु सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के माता-पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से आय, आयकर की श्रेणी में नहीं आता है तथा आयकर दाता नहीं है, का 50 रू. के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे)
4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।
5. अभ्यर्थी केन्द्र / राज्य शासन की योजना अंतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण न लिया हो।
6. पूर्व में अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया है, तो वह पात्र नहीं होगा।
7. आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ०ग० में जमा किया जाना होगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

(50रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

(संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा वर्ष------के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार हेतु)

मैं-----------------पिता------------उम्र---------------निवासी------- ग्राम वि.खं.----------जिला---------------यह शपथ पूर्वक कथन करते हुए घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैने वर्ष के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त किया है। मेरा रोल नंबर--------- है। तथा आयोग द्वारा जारी अर्हता पत्र संलग्न है।
2. यह कि मैं भारत शासन द्वारा छ०ग० राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारक हूँ।
3. यह कि मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूं।
4.
   (i) यह कि मेरे पिता की (यदि शास० सेवक है तो) आय---------------------
   (ii) माता की (यदि शासकीय सेवक है तो) आय ---------------------
   (iii) पिता का, यदि अन्य व्यवसाय है, तो आय ---------------------
   (iv) परिवार की कृषि से आय ---------------------
   (v) आवेदक की आय ---------------------
   कुल आय (i,ii, iii, iv एवं v का योग) -------------------है।
5. यह कि मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय ....रू. है तथा मैं एवं मेरे माता पिता आयकर दाता नहीं हैं।
6. यह कि मेरे द्वारा पूर्व में इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह कि मेरे द्वारा केन्द्र / राज्य शासन की योजनांतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण / कोचिंग नहीं लिया गया है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं---------उपरोक्त कंडिका 1 से 7 की जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्यापित करता हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

स्थान :-

दिनांक :-

सत्यापनकर्ता

आर.ओ.143 जी/-252603358/3

कार्यालय उपसंचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष एवं फैक्स क्र. 0771-2263437 **ई-मेल :- govt.ayurvedicpharmacy@gmail.com**

क्रमांक / स्था. /2025/955 रायपुर, दिनांक 04/09/255

-:: दावा-आपत्ति ::-

कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) द्वारा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद हेतु जारी विज्ञाप्ति क्रमांक / स्था./2023/566, दिनांक 16.05.2023 के परिपेक्ष्य में चौकीदार पद हेतु प्राप्त आवेदनों का समिति द्वारा परीक्षण किया गया।

प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण में जिन अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्र पात्र/अपात्र किये गये हैं, उनकी प्रावधानिक सूची जिला के वेबसाईट www.raipur.gov.in एवं कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है, जिस आवेदक को आपत्ति हो वह अपनी दावा-आपत्ति वेबसाईट में प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर सायं 05:30 बजे तक कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, सरल क्रमांक तथा आवक क्रमांक लिखा होना अनिवार्य है, ऐसे पात्र आवेदक जिनकी कक्षा आठवी की अंकसूची ग्रेड के आधार पर है, वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अंक तालिका (अंकों में की गणना हेतु) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा शासन के नियमानुसार ग्रेड का अंकों में रूपान्तरण किया जावेगा। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात् किसी प्रकार का दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

उपसंचालक,
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.144 जी/-252603291/3

नगर सेना एवं अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं
तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय छत्तीसगढ़
सेक्टर-19 नया रायपुर

-: छ०ग० अग्निशमन विभाग में भर्ती हेतु अभ्यार्थियों कों दस्तावेज / शारीरिक नाप-जोख परीक्षण की सूचना :-

छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग में विभिन्न संवर्ग के 295 पदों की भर्ती हेतु दिनांक 17.09.2025 से अभ्यर्थियों के दस्तावेज/शारीरिक नाप-जोख का परीक्षण किया जावेगा, इस हेतु प्रवेश पत्र जारी किए गए है जिसे अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट cghgcd.gov.in एवं firenoc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। समस्त अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त हेतु प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि/समय/स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

निदेशक
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं
तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़

आर.ओ.145 जी/-252603379/5

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

इद्रावती भवन, खण्ड-03, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

Email ID cglc2012@gmail.com, No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

// स्व० रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार-2025-2026//

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार दिया जाता है जिसके अंतर्गत रूपये 02 लाख एवं प्रशास्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

अतः ऐसे श्रमिक संस्था जिन्होने "श्रम के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में किये गये उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयनित किया जायेगा, मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में विशेष कारगार उपाय किया हो, जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो एवं सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया हो, जिससे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो" के द्वारा दिनांक 29.09.2025 तक श्रम विभाग की वेबसाईट में दी गई लिंक (shramevjayate.cg.gov.in/alankran.aspx) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

श्रम यशस्वी पुरस्कार से संबंधित नियम, अर्हताएं, प्रक्रिया, आवेदन प्रपत्र आदि श्रम विभाग की वेबसाईट (shramevjayate.cg.gov.in/lankran.aspx) से डाउनलोड की जा सकती है।

(श्रमायुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

(एस.एस. पैकरा)
उप श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

आर.ओ.146 जी/-252603372/3

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, खेल भवन जी.ई. रोड रायपुर

फोन 0771-2262178, **वेबसाईट:**-www.sportsyw.cg.gov.in, **ई-मेल:** dir-sportsyw.cg@gov.in

क्र./पुरस्कार-74/2025-26/1266 रायपुर, दिनांक 04/09/2025

गुण्डाधूर सम्मान वर्ष 2025-26 हेतु अनुशंसाओं का आमंत्रण

विषयान्तर्गत 01 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले गुण्डाधूर सम्मान वर्ष 2025-26 हेतु 25 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित प्रारूप में अनुशंसाएं आमंत्रित की जाती हैं।

गुण्डाधूर सम्मान एक खिलाड़ी या एक दल को दिया जा सकेगा। प्रत्येक अलंकरण में राशि 1.00 लाख नगद, अलंकरण फलक, प्रशस्ति पत्र से सम्मनित किया जाएगा।

चयन का मापदण्डः-

1. गुण्डाधूर सम्मान ऐसे पात्र खिलाड़ियों को दिए जाऐंगे, जिन्होंने वर्ष 2024-25 (विगत वर्ष) में ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के खेल अलंकरण हेतु विचार क्षेत्र में लिया जाता है, के सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो।
2. यह सम्मान पुरूष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों के लिए सम्मिलित रूप से होगा अर्थात् उपलब्धियों की तुलना सम्मिलित रूप से की जाएगी।
3. इस सम्मान के लिये उन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है।
4. सम्मान हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।
5. यदि चयन समिति की राय में किसी विशेष वर्ष में इस सम्मान को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है।
6. यह सम्मान विभाग के अन्य खेल पुरस्कारों के अलावा होगा जो खिलाड़ी को उसकी उपलब्धि के लिये दिया गया है, लेकिन महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान से अलंकृत खिलाड़ी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. यह सम्मान किसी खिलाडी को उसके जीवनकाल में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
8. यदि किसी खिलाड़ी या दल को उपलब्धि वर्ष या सम्मान वर्ष में मान्यता प्राप्त खेल संगठन द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए यह सम्मान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
9. सम्मान हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव लाया जाना प्रविष्टि के लिए अनर्हता मानी जाएगी।
10. ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी की प्रविष्टि उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्त्रोत से सम्मान हेतु प्राप्त हुई है, उस खिलाड़ी ने इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।
11. प्रथम दृष्टि में उपयुक्त होते हुए भी विभाग संबंधित खिलाड़ी की प्रविष्टि पर विचार करने के लिए उस खिलाड़ी की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार अपने पास रखता है।

गुण्डाधूर सम्मान की नियमावली छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 249, दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित हुई है, तत्संबंधी नियमों के सभी प्रावधानों / नियमों / शर्तों का पालन करते हुए इस सम्मान हेतु खिलाड़ी/खिलाड़ियों या एक दल का चयन जूरी द्वारा किया जाएगा।

नौकरी पेशा आवेदको के लिए राज्य / केन्द्र के शासकीय / अर्द्धशासकीय /सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी/कर्मचारी पर सम्मान / पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उन पर संबंधित सरकार द्वारा लागू नियम का भी परिपालन किया जाना अनिवार्य है।

उक्त नियमों को खेल विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में भी देखा जा सकता है तथा निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।

अनुशंसा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर, 2025 है। विभागीय वेबसाईट www.sportsyw.cg.gov.in में आवेदन का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। इस अवधि में अनुशंसा पत्र, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर अथवा खेल एवं युवा कल्याण के जिला कार्यालयों में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर 492002

फोन नं. 0771-2221346 फैक्स नं. 0771-2510346 email-lawdept.cgla.gov.in

बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान

राज्य शासन द्वारा विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने, प्रोत्साहित करने और मान्यता देकर उनकी विशेष पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय "बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान" वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सम्मान के लिये दो व्यक्तियों का चयन किया जायेगा, जिन्हे पुरस्कार स्वरूप राशि रूपये 1.00-1.00 लाख (एक-एक लाख रूपये) प्रति व्यक्ति नगद सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति पत्र के साथ दी जायेगी। इस सम्मान हेतु विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों से दिनांक 30-9-2025 तक निम्नानुसार विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः-

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय।
(ख) विधि के क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिये किये गये उत्कृष्ट कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
(घ) विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धान्तिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)।
(च) विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।
(छ) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति।
(ज) आवेदक द्वारा, प्रस्तुत जानकारी तथा दस्तावेज (पत्र, प्रमाण पत्र, कतरन, प्रतिवेदन आदि) के सही और वास्तविक होने की घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उक्त सम्मान हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों के संबंध में निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय लिया जायेगा, निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा। निर्णायक मंडल के सदस्य एवं उसके परिवार के व्यक्ति उस वर्ष के सम्मान के लिये आवेदन करने के लिये अनर्हित होगें, जिस वर्ष के लिये वे निर्णायक मंडल के सदस्य नियुक्त किये गये है।

उक्त सम्मान हेतु सभी आवेदन पत्र निर्धारित तिथि दिनांक 30-09-2025 तक प्रमुख सचिव, छ०ग० शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, केपिटल काम्पलेक्स, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) पिन कोड नम्बर 492002 को प्राप्त हो जाना चाहिए।

अतः आवेदक, सीधे प्रमुख सचिव के उक्त पते पर व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। डाक से भेजे गये पत्र के विलंब से प्राप्त होने पर विभाग जिम्मेदार नही होगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

अतिरिक्त सचिव
छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

आवेदन हेतु प्रारूप
बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान पुरस्कार वर्ष

(1) व्यक्ति का पूर्ण परिचयः-
(क) नाम -
(ख) पिता का नाम -
(ग) शैक्षणिक योग्यता -
(घ) पदनाम/व्यवसाय -
(ड.) पत्राचार का पूर्ण पता -
(च) संपर्क दूरभाष क्रमांक -
(2) विधि के क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिये किये गये उत्कृष्ट कार्यों (सप्रमाण) सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की छायाप्रति (सत्यापित)/ प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से किये गये उत्कृष्ट कार्य की विस्तृत जानकारी (जैसा लागू हो):-
(3) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरणः-
(4) पुरस्कार हेतु चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने हेतु लिखित सहमतिः-
(5) आवेदक द्वारा, प्रस्तुत जानकारी तथा दस्तावेज (पत्र, प्रमाण पत्र, कतरन, प्रतिवेदन आदि) के सही और वास्तविक होने की घोषणा पत्रः-
(6) अन्य कोई जानकारी जो आवश्यक होः-

संलग्नः-
दिनांकः-

आवेदक का नाम, हस्ताक्षर एवं
पूर्ण पता दूरभाष सहित

आर.ओ.147 जी/-252603402/3

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक एफ 2-1/2024/34-1 दिनांक 26.09.2024 से वित्त विभाग का जावक क्रमांक 1210/सी.एन. बजट-2/वित्त/चार/2024, दिनांक 20.09.2024 द्वारा राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी अनुरेखक के 37 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। उक्त पदों में सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर के वेबसाईट पर आमंत्रित किये जाते है, परीक्षा संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

1. अनुरेखक

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान	विहित शैक्षणिक योग्यता
अनुरेख	37	लेवल-4, वेतन 19500-62000	10+2 अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।

पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिये आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिये वर्गवार आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित	योग
	अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.		
अनुरेखक	13	04	11	04	03	01	03	01	01	0	01	0	01(OL) 01(HH)	32
बैकलॉग	0	05	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0		05
कुल														37

सामान्य शर्तेः-

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 3-2/2015/1-3, दिनांक 18.01.2024 अनुसार दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिये शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी। इसके लिये उन्हें चयन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांगजनों को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के उम्मीदवार को अपनी जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर चयन प्रकिया के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. महिलाओं के आरक्षण की गणना छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुये केवल पूर्णांको को लिया गया है एवं महिलाओं का आरक्षण क्षैतिज एवं कम्पार्टमेंटवाईज होगा।
7. दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण के लिये दिव्यांगता (ओएल एक पैर एवं एचएच ऊचा सुनने वाला) है। जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, आवेदक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का परिपत्र कमांक एफ 13-4/2023/ आ. प्र./1-3, दिनांक 29.05.2023 अनुसार नियुक्ति के पूर्व संबंधित मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड का परीक्षण / सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
8. लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा वेबसाईट के माध्यम से दी जावेगी।
9. उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।
10. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
11. संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी तथा इस अवधि में शासन के निर्देशानुसार अवधि बढ़ाई / घटाई जा सकती है।
12. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रकिया विभाग द्वारा की जावेगी।
13. सीधी भर्ती के उल्लेखित पदों की संख्या घटाई / बढाई जा सकती है।
14. नियुक्ति का समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय सर्वमान्य तथा बंधनकारी होगा।
16. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
17. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर का वित्त निर्देश 33/2023, कमांक 571/260/वि./ नि./चार/2020, दिनांक 12.09.2023 में निहित प्रावधानुसार संबंधित का वेतन नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा, परिवीक्षा अवधि में वेतन के साथ अन्य भत्ते नियमानुसार प्राप्त होंगे।
18. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिये है अतः चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकेगा।
19. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
20. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. विभाग द्वारा चयनित उम्मीद्वारों का पुलिस व्हेरीफिकेशन शासकीय सेवा योग्य पाये जाने पर ही परीविक्षा अवधि समाप्त की जावेगी। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।
22. सीधी भर्ती किये गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
23. उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र/1-3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.egstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)

बलरामपुर-रामानुजगंज मुख्यालय बलरामपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 07831-299063E-mail: acbalrampur@gmail.com

क्रमांक/1816/वन अधि०/ आ०वि०/2025-26:- बलरामपुर, दिनांक 01/09/2025

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०) का पत्र क्र०/वन अधि०//2025-26/6345 अटल नगर, दिनांक 14.08.2025 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारू कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) की नियुक्ति किए जाने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में विज्ञापन जारी दिनांक से दिनांक **21.09.2025 समय-सायं 5:30** बजे तक कार्यालयीन समय पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर में आमंत्रित किए जाते हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं।

क्र	पद का नाम	मानदेय	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक- वन अधिकार अधिनियम)	30,000/-	01	01 वर्ष	जिला स्तर	जिला स्तर पर
2	एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम)	20,000/-	02	01 वर्ष	चिन्हित अनुभाग स्तर पर	चिन्हित अनुभाग स्तर पर (अनुभाग- बलरामपुर/ वाड्रफनगर)

पद की शर्तेः-

1. यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे।
2. यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय (Non Transferable) होंगे।
3. कार्य में लापरवाही, कदाचरण अथवा कार्य व्यवहार प्रतिकूल पाए जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती हैं।
4. अभ्यर्थी द्वारा नियमितकरण अथवा कार्य पर पुनः रखे जाने अथवा सेवा वृद्धि के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार का दावा नहीं किया जायेगा।
5. धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 01 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा।

पात्रता की शर्तेः-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिये, जिसमें एमएस ऑफिस इत्यादि सम्मिलित है। इस हेतु किसी मान्यता प्राप्त शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम 01 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इस संबंध में संस्था की वैद्यता प्रमाणित करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवेदक की होगी। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 02 वर्ष) मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो जैसेः जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के /02/ क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव का weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
3. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये, इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय पंरपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिये।

4. आवेदन की प्रकिया तथा निर्धारित तिथि :-

(i) निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ बड़े लिफाफे में सील बंद कर "कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, पिन-497119" के नाम से रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा जाये। आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेखित नहीं होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(ii) कार्यालय में आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि 21.09.2025 को सायं 05:30 बजे तक हैं। अतः रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रेषित करने के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जावे कि अंतिम तिथि 21.09.2025 को सायं 05:30 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर पहुंच सके। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। अभ्यर्थी का आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(iii) आवेदन पत्र में अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलखों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iv) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत पात्र पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर 1:10 (एक अनुपात दस) के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा। किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(v) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि से दूरभाष / ईमेल माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

(vi) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है।

(vii) 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार पर तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल / चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों को 02 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(viii) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(ix) जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है।

(x) जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि यह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है।

(xi) विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना जिले के वेबसाईट www.balrampur.gov.in पर अपलोड कर सूचित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

पद के कर्तव्य

जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) (जिला स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा-एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्चात कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के गठन /पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

क्रमशः

4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर कियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. राज्य स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया ने गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मागदर्शन प्रदान करना।
13. विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर से मागदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना।
17. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) - (उपखण्ड स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुभाग / उपखण्ड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3 (2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्चात कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के गठन /पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर कियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. जिला स्तर एवं ग्रामसभा तथा मैदानी स्तर के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच उपखण्ड/अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. मैदानी स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया मे गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. जिला परियोजना समन्वयक के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. पदेन सचिव, उपखण्ड स्तरीय समिति को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
बलरामपुर-रामानुजगंज

आवेदन पंजीकरण क्रमांक-----------------
(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र
वर्ष 2025-26

आवेदित पद का नामः-----------

अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साईज स्व प्रमाणित फोटों

1. आवेदक का नामः-
2. पिता का नामः-
3. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY):-
आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति मेंः- वर्ष------माह----दिन------
4. आवेदक की श्रेणीः-
(सामान्य / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
5. मूल निवासः-
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. निवास का पता ई-मेल सहितः-
फोन/मोबाईल नंबर
7. शैक्षणिक योग्यताः-
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुभव की कुल अवधि-
(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	शासकीय/अशासकीय संस्था का नाम	कार्य अवधि		कार्य की प्रकृति (विवरण देवें)
		कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं------------------ घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन / नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर---------------
नाम-----------------
दिनांक---------------
स्थान----------------

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम
जिला कबीरधाम (छ०ग०)

क्रमांक 960/ जि.वि.से.प्रा. (LADCS)/2025 कबीरधाम, दिनाँक 18.08.2025

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 25.08.2025 प्रातः 11:00 बजे से | आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24.09.2025 संध्या 05:00 बजे तक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम (छ०ग०) के अंतर्गत डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कॉसिल के निम्नांकित पदों पर संविदात्मक भर्ती किये जाने हेतु अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :-

क्र०	रिक्त पद का विवरण	रिक्त पदों की संख्या
01	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल	02

टीपः-

क. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम, के पास सुरक्षित रहेगा।

ख. संविदात्मक पद पर नियुक्त लीगल एड डिफेंस कौंसिल की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्ति किये गये स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग छत्तीसगढ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तो के लिए निर्धारित परिपत्र / नियम / शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

घ. उक्त विज्ञापन सम्पूर्ण कबीरधाम जिला क्षेत्र में कर्तव्य निष्पादन हेतु आमंत्रित किया गया है। किन्तु भविष्य में तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा डिफेंस लीगल एड कौंसिल की मांग किये जाने पर जिला मुख्यालय के लिये नये नियुक्त लीगल एड डिफेंस कौंसिल को तालुका विधिक सेवा समिति भेजा जा सकता है।

02. भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :-

(A) Qualification for Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel:

- Practice in Criminal law for at least 7 Years,
- Excellent understanding of criminal law.
- Excellent oral and written communication skills,
- (Skill in legal research, Thorought understanding of ethicial duties of defense counsel.
- Ability to work effectively and efficiently with others.
- Must have handled at least 20 criminal trials in sessions courts, may by relaxed in exceptional circumstances by Hob'ble executive Chairman, SLSA)

Note: Qualifications may be reasonably relaxed in case of exceptional candidate or circumstances after the approval of the Executive Chairman, SLSA.

03. Honorarium (Retainership Fee) मानदेय (रिटेनर फीस):-

For Class- C (Popluation below 2 Lacs) or Remaining places

1. Deputy Chief Legal Aid Defense Councsel Rs. 40000/- each

4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर कबीरधाम जिला कबीरधाम (छ०ग०), पिन 491995 में दिनाँक 24.09.2025 की संध्या 05:00 बजे तक स्वतः उपस्थित होकर कार्यालय में जमा करे अथवा रजिस्टर्ड डाक से जमा करना होगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर) की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं अभ्यर्थी द्वारा सत्र न्यायालय में 20 आपराधिक प्रकरणों में की गई कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) कोरियर, ई-मेल, फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(4) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय कबीरधाम के वेबसाईड https://kabirdham.dcourts.gov.in/ में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

(5) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

(6) आवेदक, आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा।

(7) आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्द्राज नीले बॉल पेन/डॉट पेन से ही करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

(8) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

(9) विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(10) त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

(11) एल.ए.डी.सी.एस. अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

05. एल०ए०डी०सी०एस० सिस्टम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्नानुसार है:-

01. Scope of work:-

Legal Aid Defense counsel office shall be dealing exclusively with legal aided matters in criminal matters of the District of HQ, where in it is estanblished. It shall be providing legal services from the early stages of criminal justice till appellate stage, and the same shall include visits to jails from catering to the legal needs of unrepresented inmates, Initially it shall not be deal ing with all type of civil matters nd cases of complainant, where in present counsel assignment system (panel Lawyers) will con tinue to be operational, The following end to end legal services shall be provided throught the legal aid defense counsel office.

- Legal Advice and Assistance to all individuals visiting the office.
- Representatin/ conducting trial and apeeals including all miscel laneous work in all criminal courts such as Sessions, special and Magistrate courts including executive Courts,
- Handing Remand and Bail work,
- Providing legal assistance at pre- arrest stage as per need and also in accordance with NALSA's Scheme for providing such assistance.
- Any other legal aided work related to District Courts or as assigned by the Secretary, DLSA
- Periodine visit of Prisons of the district undr the guidance of the Scretary, DLSA.

02. Selection Procedure:-

After due publicity including public notice, application will be invited and a fair, transparant and competitive selection process shall be adopted by DLSA under guidance of SLSa. Legal Aid Defence Counsels shall be engaged on contract basis in each place/ district initially for a period of two years with a stipula tions of extension on yearly basis on satisfactory performance. The performance of each uhuman resource shall be assessed in every six months by SLSa in consultation with DLSA concerned

क्रमशः

Selection of Deputy Chief Legal Aid Defense counsels, Assistant Legal Aid Defense Counsels will be purely based on merit, tak ing into account the knowledge, skills, practive and experience of candidates. The selction shall be carried out by selection com mittee under the Chairmanship of the Principal District & Sessions Judge (Chairman, DLSa) as envisaged in NALSA (Free and competent Legal Services) Regulations, 2010, Subject to final approval by the Executive Chairnman SLSa. In the selection com mittee at least three senior most judicial officers posted at HQ, dealing mainly criminal cases, preferably sessions cases, will also be included, No person with conflict of intrest shall be part of se leciton process. After approval by the Executive Chairman, Slsa, engagment contract will be executed between the Secratary DLSa and peruos so engaged, The eligibility criterions are as follows:

03- Work Profilies:

(a) Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel.

- Conducting trials, apeeals/Remand work/Bail Applications/visits to prisons etc, as assigned by Chief Legal Aid Defense Counsel.
- Filing and arguing appeals and bail applications in courts.
- Maintaining comlete case files.
- Doing legal research in legal aided cases and guiding assistant legal aid defense counsel and law students attached with the office in legal research.
- Proper client interviews at various stages for quality research work and representation at remand, trial and appellate stage.
- All or any of the work of the Chief defense counsel as per assignment.
- Any work/duty assigned by legal services Authority.

(b) Assistant Legal Aid Defense Counsel.

- Filing of cases, conducting trials in Magistrate trial cases.
- Remand/bail and other miscellaneous work,
- legal research in legal aided cases,
- Visits to Prison and Legal aid clinics as per directions.
- Providing assistance at pre-arrest stage to suspects,
- Assisisting Chief Legal Aid Defense Counsel and Deputy Legal aid Defense Counsel(s) in conduct of legal aid cases,
- Assisting in developing a defence strategy after sifting through all of the evidence collected by the prosecutionn and after hearing the accused's version of what happened during the alleged crime in question.
- Visiting location/area of alleged crime, having discussions with family members etc, for effective and meaningful input of defense strategy.
- handiling queries of legal aid seekers,
- Updating legal aid seekers about the progress of their cases, Assisting in maintaining complete files of legal aided cases.
- Assisting in maintaining complete files of legal aided cases,
- Handling legal queries relating to criminal matters on telephone.
- Any other work related to legal aid assisgned by Chief Legal Aid Defense Counsel,
- Any work/duty assisgned by Legal Services Authority.

04- Termination of Services:

Services of any human resource including legal aid defense counsel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel can be terminated at any time without any prior notice in the following cases by the chairman, DLSA on reommendation of the Secretary DLSA or on the directions by SLSA in writing.

- He/she substantially breaches any duty or service required in the office, or
- Seeks or accepts any percuniary gains or gratificationn in cash or king from the legal aid seekers or beneficiary or his friend or relative, or
- charged or Convicted for nay offence by any court of law, or
- Indulges in any type of political activities, or
- Found incapable of rendering professional services of the required standards, or
- Failure to attend trainning programmes without any sufficient cause, or
- Indulges in activities prejudicial to the working of legal aid defense counsel office, or
- Users his/her position in legal aid defencse counsel office to secure unwarranted privileges or advantages for his/herself or others, or
- Acts in breach of code of ethics, or
- Remains absent without leave for more than two weeks, or
- If services are found unsatisfactory during the six- monthly perormance review by the SLSA or DLSA

05- Code of Ethics:

- Personnel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel shall observe the following code of ethics:
- No personnel shall act in any matter in whcih he/she has a direct or indirect personal or financial interest.
- No Personnel shall wilfully disclose or use, whether or not for the purpose of pecuniary gain, any information that he/she obtained, received or acquired during the fulfilment of his/her official du ties and which is not available to members of the general public.
- No personnel within in the office of Legal Aid Defense Counsel shall make use of his/her office or employment for the purpose of promoting or advertising any outside activity or act as an in dependent practitioner.
- No personnel within in the office of legal Aid Defense counsel shall solicit, agree to accept or accepts, whether directly or indirectly, or indirectly, any gift, favour, service, or other thing of value under circumstances from which it might be reason ably inferred that such gift, service, or other thing of value was given or offered for the purspose of influencing his/her in, or rewarding his/her, the discharge of his/her official duties.
- Legal Aid Defense counsel shall devote his/her full time to his/ her duties for the office of Legal Aid Defense Counsel and shall not engage in private practive or law during the terms of employement.
- Every personnel of the Office of Legal Aid Defense Counsel shall strive to preserve the Public's confidence in the office's fair and impartial execution of its duties and responsbilities.
- Legal aid Defense Counsel shall also follow the code of ethis prescribed by Bar Council of India for lawyers.

06- Entitlement to Leave.

- Deputy Legal Aid Defense shall be eligible for 15 days, leave in a calander year on pro-rata basis.
- Assistant Consel Legal Aid Defense counsel and other staff persons shall be eligible for 12 days' leave in a calander year on pro-rata basis.
- No remuneration for the period of absence in escess of the admissible leave will be paid to the human resource of Legal aid Defense Counsel office. Un-avalied leave shall neither be carried forward to next year not encashed.

07- Role of State legal services Authority and District Legal Services Authority.

- Office space planning, and providing infrastructure for office preferably inside or in proximity to court complex.

क्रमशः

- Providing office furniture, office, equipment including computers, printer, internet connectivity and other equipment.
- Purchasing office supplies on need basis.
- Engaging human resource requiremtn for legal aid counsel system office.
- Ensuring proper functioning of Legal aid Counsel system office.
- Ensuring effective monitoring and mentoring.
- Periodical evaluation of Legal services delivered through legal aid counsel system office.
- Regualr trainings and refresher courses for legal aid counsel engaged in Legal aid Counsel system office.
- Renovation of Office space when necessary.
- Provinding Books such as Bare Acts and Commentaries for legal Aid Defense Counsel office.
- Providing Legal Research Software.
- Timely payment of monthly honorarium to legal aid counsel and all staff engaged for Legal aid defense counsel office.
- Payment with regard to expert witnesses, if their services are taken.
- Payment for encidental expenses such as travelling expenses etc. Information/ promotional campaigns/ programmes with regard to legal aid Defense Counsel office.

08. Engagement with Law Schools.

Law Schools often send their students to legal services Insitutions for internship. Moreover, Clinics of Law Colleges also collaborate with Legal Servicess Institutions, Law Students can be engaged with the Legal Aid Defense counsel office as to give them mean ingful exposure to practival aspects of criminal law including preparing a defense stragey and doing legal reserch in various factual scenarios. Law students may be so engaged in the follow ing areas in Legal aid defense counsel office.

- Legal research in criminal cases
- Visiting scenes of Crimes,
- Interviewing accused and their family members and other relevant persons.
- Visits of Prisons and Legal Aid clinics.
- Associating in Campaigns undertaken.
- Assist in sifting through all of the evidence collected by the prosecution and providing effective input for preparing defense strategy.

The intership of law students can be offered for a period upto 3 months. the Law students so engaged shall not be paid any stipend by the Legal Services Authorities but the certificate of work and period of work will be issued by the Chief Defense Counsel & Secratary DLSA.

09. Monitoring and Evalution

- The work and performance shall be closely monitored by the Secretary DLSA and a monthly review meeting will be organised under the chairmanship of the Chairman, DLSA. the Minutes of the meeting shall be sent to SLSa. A quarterly review meeting. with every LADCS office and the Secretary, DLSA will also be organized by the Member Secretary, SLSA and munutes shall be sent to NALSA. The formats for such data sharing will be shared at the time of launch. Monitoring shall be continuous process and at the end of six months the performance of every human resource shall be evaluated by the SLSAa under the guidance of Hon'ble Executive Chairman, SLSA.
- Monitoring and mentoring committee shall monitor legal aid work of Legal Aid Defense Counsel Office.
- The Chief Legal Aid defense Counsel shall be involved in monitoring & mentoring Legal Aid cases.

06. चयन सूची तथा प्रतिक्षा सूची :-

साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों की चयन एवं प्रतिक्षा सूची तैयार की जावेगी।

07. महत्वपूर्ण टीप :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते है। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी तथा यदि किसी प्रकार की लापरवाही, कदाचार या पीड़ित /पक्षकार से अभद्रता अथवा धनराशि की मांग/लेन, देन इत्यादि के संबंध में लिखित अथवा मौखिक शिकायत प्राप्त होने की दशा में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को कभी भी बिना पूर्व सूचना दिये सेवा से पदच्युत किया जा सकेगा।

चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है, यदि विज्ञापन प्रारूप एवं भर्ती प्रक्रिया इत्यादि में किसी संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इस संबंध में शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार संविदात्मक भर्ती हेतु विज्ञापन प्रारूप चयन समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम (छ०ग०)

APPLICATION FOR ENGAGEMENT AS FULL TIME LEGAL AID LAWYER IN LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM

District Kabirdham
Application No.----------------
(For Office use)---------------

Photo

Application for Deputy/Assistant Legal Aid Defense Counsel

1. Application's Name :-----------------------
2. Father's/husbands Name :-----------------------
3. Date of Birth :-----------------------
4. Age (As on 01-12-2024) :-----------------------
5. Gender :-----------------------
6. Residential Address :-----------------------
7. Office Adrress :-----------------------
8. Chamber address (if any) :-----------------------
9. Telephone no. (O) :-----------------------
10. Telephone No. (R) :-----------------------
11. Mobile No. :-----------------------
12. Fax No. :-----------------------
13. E-mail ID :-----------------------
14. Pan No. :-----------------------
15. Aadhar No. :-----------------------
16. Educational Qualification (Please enclose self- attested copes of documents)

Course	Name of Board/ University	Year of Passing	Obtained percentage (Aggregate)
Gradution			
Professional Degree LLB			
LLM			
Any Other (if any)			

क्रमशः

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

जिला न्यायालय परिसर, रायपुर

दूरभाष कमांक 0771-2425944 दूरभाष कमांक 0771-2420077

E-mail: disa, raipur@gmail.com

// सूचना-पत्र //

क्रमांक/आफि. असि.-भृत्य भर्ती/2025 रायपुर दिनांक 10/09/2025

इस परिपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०) के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल रायपुर के स्थापना हेतु ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा एवं कार्यालय भृत्य की उपर्युक्तता परीक्षा दिनांक 20-09-2025 दिन तृतीय शनिवार को सुबह 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य होगी तथा आफिस असिस्टेंट के पद हेतु कौशल परीक्षा के पश्चात दिनांक 22-09-2025 दिन सोमवार के सुबह 09:30 बजे से स्थान जिला एवं सत्र न्यायालय रापुर में रखा गया है। उपरोक्त पदों के कौशल परीक्षा/उपर्युक्तता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों के रोल नम्बर एवं प्रवेश पत्र कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर के वेबसाईट https://raipur.dcourts.gov.in में अपलोड किया गया है।

अध्यक्ष
चयन समिति
लीगल एड डिफेंस कौंसिल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायपुर

आर.ओ.149 जी/-252603446/3

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स 2221641, ईमेल cgayush@gmail.com

क्रमांक/महा./प्रवेश/स्नातक/2025-26/4160 नवा रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2025

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में राज्य कोटे एवं निजी महाविद्यालयों के ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना

शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी तथा अंग्रेजी विषयों सहित) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2025 में सम्मिलित, पात्र तथा इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं।

बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों सहित) उत्तीर्ण, पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं।

बी.ए.एम.एस. एवं बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक पंजीयन कराना होगा तथा बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से पंजीयन कराना होगा।

ऑनलाईन पंजीयन करने के पूर्व "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2023" एवं सूचना पत्र (Information Bulletin) का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभकरें, जो वेबसाईट https://cgayush.admissions.nic.in में उपलब्ध है।

पंजीयन कार्यक्रम

क्र	विषय	विवरण
1	बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के राज्य कोटे एवं निजी महाविद्यालयों के ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभ तिथि	दिनांक 16 सितम्बर 2025
2	बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के राज्य कोटे एवं निजी महाविद्यालयों के ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए अंतिम तिथि	दिनांक 25 सितम्बर 2025, समय रात्रि 11:59 बजे तक
3	बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभ तिथि	दिनांक 16 सितम्बर 2025
4	बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन आवेदन के लिए अंतिम तिथि	दिनांक 25 सितम्बर 2025 समय रात्रि 11:59 बजे तक
5	बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्था का चयन	दिनांक 16 सितम्बर 2025 से 25 सितम्बर 2025 समय रात्रि 11:59 बजे तक

विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट https://cgayush.admissions.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है।

आयुक्त
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

आर.ओ.148 जी/-252603473/5

(पृष्ठ 13 का शेष)

17. Date of Enrolment as Lawyer :-------------------------
18. Enrolment no. :-------------------------
    (Attach self attested copy of enrolment certificate issued by Bar Counsil)
19. Experience in Bar :-------------------------
    (duration of actual practice)
    (Attach an experience certificate issued by the Bar Association/ Council)
    (a) Total No. of cases handled :-------------------------
    (b) Nature of cases handled :-------------------------
    (Attache extra sheet, if required
    (c) Specialization, if any :-------------------------
    (the details of a few important cases, the Application have dealt with/handled reported judgement if any)
20 Whether empanelled as Central/State Government or Goverment undertaking counsel/pleader :---------------
    (Indicate period & attach documents)
21. The Courts where the Applicant is :--------------- regularly practicing
22. Speicify whether earlier remained on the panel of HCLSC DLSA or TLSC (Indicate period, number of legal aid cases handled & result) (attach documents):---------------
23. Whether any disciplinary cases/Complaint is was against the Application with any Bar Council : YES NO
    (If yes, specity details of both disposed & pending with documents)
24. List of the documents to be attached.
1. Self- Attested copy of Certificates in support of educational qualifications.
2. Self-Attested copy of Certificate in enrollment issued by the Bar Council under the Advocates Act, 1961.
3. Self-Attested copy of Photo Identify Card, Address Proof.
4. Self- attested copy of photo of ITR for last 3 years (If available)
5. Photo copies of judgements in 5 Sessions cases, represented as Defense lawyer, (for the post of Deputy Legal Aid Defense Counsel)
6. Photocopies of at least 5 cross examinations is Sessions cases (For Deputy LegalAid Defense Counsel)

(Signature)

DECLARATION

I here declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false/incorrect at any stage, my candidature is liable to be cancelled, I have read and understood the instructions and terms of the engagement and agrees to abide by those. I declare that I fulful the eligibility conditons for the category to which I am seeking engagement, I declage that I have never been penalised by any Bar Council in any Disciplinary Proceedings. I also undertake to maintain absolute integrity and discipline as required thereunder, I agree with the remuneration structure and all the terms and conditions notified by SLSA/DLSA concerned.

(Signature)

Place:-----------
Date:------------

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पिय प्रश्नोत्तरी

1. Axiom-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुँचने वाले पहले भारतीय?
A. राकेश शर्मा
B. राकेश सोबती
C. शुभांशु शुक्ला
D. विवेक सिंह

2. टीटीएफ कोलकाता में छत्तीसगढ़ को किस रूप में प्रस्तुत किया गया?
A. अज्ञात भारत
B. नवा छत्तीसगढ़
C. अनदेखा भारत
D. हरित पर्यटन स्थल

3. किस जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है?
A. चित्रकोट
B. मैनपाट
C. सिद्धखोल
D. तीरथगढ़

4. मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप योजना के अंतर्गत किस कोर्स के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी?
A. एमबीए
B. एमटेक इन एआई एंड डेटा साइंस
C. एमएससी कंप्यूटर साइंस
D. एमसीए

5. यह फेलोशिप योजना किस संस्थान में शुरू की गई है?
A. NIT रायपुर
B. IIM रायपुर
C. ट्रिपल आईटी (IIIT)
D. BIT दुर्ग

6. रायपुर में ट्रेनों का आरक्षण चार्ट अब कितने घंटे पहले जारी किया जाएगा?
A. 6 घंटे
B. 8 घंटे
C. 10 घंटे
D. 12 घंटे

7. मलेरिया मुक्त अभियान के 12वें चरण में कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई?
A. 1 लाख
B. 1.2 लाख
C. 1.39 लाख
D. 2 लाख

8. पॉजिटिव पाए गए मरीजों में कितने प्रतिशत बिना लक्षण वाले थे?
A. 50%
B. 55%
C. 61.8%
D. 70%

9. नागपुर-झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है?
A. 600 किमी
B. 650 किमी
C. 692 किमी
D. 720 किमी

10. बस्तर को किस योजना के तहत आदर्श बनाने की घोषणा की गई है?
A. बस्तर विकास योजना
B. नया बस्तर अभियान
C. आपका अच्छा गांव
D. आत्मनिर्भर बस्तर

11. जस्टिस संजीव सचदेवा को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है?
A. दिल्ली हाई कोर्ट
B. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट
C. पटना हाई कोर्ट
D. कर्नाटक हाई कोर्ट

12. यूनेस्को ने मराठा काल के कितने किलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है?
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13

13. गणेशोत्सव को किस राज्य सरकार ने हाल ही में "राज्य उत्सव" घोषित किया है?
A. गोवा
B. गुजरात
C. महाराष्ट्र
D. कर्नाटक

14. लोकमान्य तिलक ने किस वर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी?
A. 1885
B. 1893
C. 1901
D. 1910

15. डब्ल्यूएचओ ने भारत की किस परियोजना को वैश्विक मॉडल बताया है?
A. आयुष्मान भारत
B. डिजिटल इंडिया
C. पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी
D. स्मार्ट सिटी मिशन

16. इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया है?
A. क्रायोजेनिक इंजन
B. सर्विस मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली (SMPS)
C. ऑर्बिटर मोड्यूल
D. लॉन्च एस्केप सिस्टम

17. 'अस्त्र' मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है?
A. सतह से हवा में मार करने वाली
B. हवा से सतह में मार करने वाली
C. हवा से हवा में मार करने वाली
D. पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली

18. 'अस्त्र' मिसाइल का परीक्षण किस विमान से किया गया?
A. मिराज 2000
B. तेजस
C. सुखोई-30 MKI
D. राफेल

19. हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला CEO और MD कौन बनी हैं?
A. इंदिरा नूई
B. किरण मजूमदार
C. प्रिया नायर
D. चंद्रा कोचर

20. डीजीसीए द्वारा उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए रैंकिंग प्रणाली कब से लागू होगी?
A. 1 जनवरी 2025
B. 1 जुलाई 2025
C. 1 अक्टूबर 2025
D. 1 जनवरी 2026

21. असीम घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है?
A. गोवा
B. हरियाणा
C. पश्चिम बंगाल
D. केरल

22. कौन-सा भारतीय शहर वैश्विक शीर्ष 10 टेक टैलेंट हब में शामिल हुआ है?
A. हैदराबाद
B. पुणे
C. चेन्नई
D. बेंगलुरु

23. चीन की स्टार्टअप कंपनी 'मिरर मौ' द्वारा बनाए गए किस रोबोट डॉग ने 100 मीटर की दौड़ 13.17 सेकंड में पूरी की?
A. वाइल्डकैट
B. ब्लैक पैंथर-2
C. चीता-एक्स
D. मिरर डॉग

24. फॉसिल गैलेक्सी की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है?
A. अमेरिका
B. भारत
C. इटली
D. जापान

25. अमेरिका द्वारा स्टूडेंट और वर्क वीज़ा पर कितनी अतिरिक्त 'इंटीग्रिटी फीस' अनिवार्य है?
A. 15,000
B. 20,000
C. 21,500
D. 25,000

26. बुल्गारिया किस वर्ष यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा?
A. 2025
B. 2026
C. 2027
D. 2028

27. आग की लपटों में 1,450 फीट बाइक चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया?
A. लुईस हैमिल्टन
B. माइकल स्टीव
C. जोनाथन वेरो
D. क्रिस्टोफर फायर

28. कोलियर्स रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया-प्रशांत की तकनीकी शक्ति का कितना प्रतिशत योगदान करता है?
A. 59%
B. 63%
C. 69%
D. 72%

29. भारत में स्टारलिंक को किस संस्था ने उपग्रह इंटरनेट सेवा देने की अनुमति दी है?
A. ISRO
B. TRAI
C. IN-SPACe
D. DOT

30. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में शरीर की जैविक उम्र मापने के लिए कितने अंगों से संबंधित प्रोटीनों की जांच की जाती है?
A. 5
B. 7
C. 11
D. 13

31. दुनिया की सबसे सटीक एटॉमिक घड़ी किस संस्थान ने बनाई है?
A. NASA
B. CERN
C. NIST
D. ISRO

32. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में पिछली बार टी20 मैच कब जीता था?
A. 2008
B. 2006
C. 2010
D. 2005

33. भारत के कितने बल्लेबाज ICC टेस्ट टॉप-10 में शामिल हैं?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

34. संजय कालीरावणा को किस टीम का कप्तान बनाया गया?
A. हॉकी इंडिया "बी" टीम
B. अंडर-19 हॉकी टीम
C. हॉकी इंडिया "ए" टीम
D. जूनियर हॉकी टीम

35. वर्ल्ड कप स्टेज-4 में भारतीय महिला कंपाउंड टीम को कौन सा पदक मिला?
A. स्वर्ण
B. कांस्य
C. रजत
D. कोई नहीं

36. चेल्सी ने कितनी बार FIFA क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है?
A. एक बार
B. दो बार
C. तीन बार
D. चार बार

37. यानिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला विम्बलडन खिताब जीता?
A. नोवाक जोकोविच
B. कार्लोस अल्काराज
C. डेनिल मेदवेदेव
D. स्टेफानोस सित्सिपास

38. भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर कौन बने?
A. श्रीहरि एल आर
B. पी. हरिकृष्णा
C. ए. हरिकृष्णन
D. विदित गुजराती

39. हरिकृष्णन ने अपना तीसरा ग्रैंडमास्टर नॉर्म कहाँ प्राप्त किया?
A. स्पेन
B. रूस
C. भारत
D. फ्रांस

40. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार टी20 श्रृंखला कब जीती?
A. 2023
B. 2024
C. 2025
D. 2022

- **गीता प्रसाद,** कैरियर काउंसलर

Q&A-004

1	C	11	B	21	B	31	C
2	C	12	C	22	D	32	B
3	C	13	C	23	B	33	B
4	B	14	B	24	C	34	C
5	C	15	C	25	C	35	C
6	B	16	B	26	B	36	B
7	C	17	C	27	C	37	B
8	C	18	C	28	C	38	C
9	C	19	C	29	C	39	D
10	C	20	C	30	C	40	C

अस्वीकरण (Disclaimer) : इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। फिर भी, यदि किसी प्रश्न या उत्तर में अनजाने में कोई त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए "रोजगार और नियोजन" जिम्मेदार नहीं होगा।

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

भविष्य का सस्टेनेबल और सीमलेस शहर – नवा रायपुर अटल नगर

बहु-क्षेत्रीय निवेश और विकास की नयी दिशा

फ्यूचर रेडी शहर, जहाँ हैं निवेश के अनुकूल नीतियाँ, प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना और तीव्र अनुमोदन की सुविधा।

- **₹6,000 करोड़** का इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर
- **₹1,143 करोड़** का सेमीकंडक्टर प्लांट, **फ़ार्मा-मेडटेक पार्क, एआई** एवं **डेटा सेंटर** हब
- **आईटी, शिक्षा** और **लॉजिस्टिक्स ज़ोन**

संतुलित विकास

एक ऐसा शहर जहाँ है जीवन और काम के बीच संतुलन।

- **ग्रिड-शैली** का डिज़ाइन, छायादार फुटपाथ
- मेनरोड से अलग सुरक्षित **साइक्लिंग ट्रैक**
- ज़रूरी सुविधाएँ **सिर्फ़ 10 मिनट की दूरी** पर

जन-केंद्रित परिवहन व्यवस्था

शहरी आवागमन है फ्यूचर रेडी, कॉम्पैक्ट और फ़ास्ट ।

- मेट्रो के लिए **200 मीटर चौड़ा** केंद्रीय कॉरिडोर
- चौड़ी और सुरक्षित सड़कें, भविष्य में **ई-बसों का संचालन**
- **रेल, एयर** और **रोड कनक्टिविटी** से जुड़ा शहर, जल्द ही अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने भी

स्मार्ट सुविधाएँ, हरित प्रणालियाँ

स्मार्ट टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और बेहतर बनाती है।

- **24x7 SCADA** प्रबंधित यूटिलिटीज़ – निर्बाध जल और बिजली आपूर्ति
- आवश्यक शहरी सेवाओं की **रियल-टाइम मॉनिटरिंग** और प्रबंधन
- **वर्षा जल संचयन, बायोस्वेल्स** और **40+ झीलों** को पुनर्जीवन

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो